रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25102023-249685
CG-DL-E-25102023-249685

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4467] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2023/कार्तिक 3, 1945
No. 4467] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2023/KARTIKA 3, 1945

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4646(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार का,भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के बाद यह मत है कि यह जनहित में आवश्यक अथवा हितकर है,अत: एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करती है,नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इस आदेश को डोर फिटिंग्स (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2023 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह महीने के बाद लागू होगा।

2. मानक चिह्न का अनिवार्य प्रयोग – (1) नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुएँ या सामान उक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित तदनुरूपी भारतीय मानक के अनुरूप होंगे तथा उनमें भारतीय मानक ब्यूरो (अनुपालन मूल्यांकन) विनियम, 2018 की अनुसूची-II की स्कीम-I के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के तहत मानक चिह्न लगा होगा।

बशर्ते कि इस आदेश में से कुछ भी निर्यात की जाने वाली स्वदेश में विनिर्मित वस्तुओं या सामान पर लागू नहीं होगा।

बशर्ते कि सूक्ष्म उद्यम के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह माह की अवधि के बाद लागू होगा।

बशर्ते कि लघु उद्यम के लिए, जैसा कि सूक्ष्म, लघु और उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 2 के क्रमशः खंड (ज) और (ड) में परिभाषित किया गया है, यह आदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से नौ माह की अवधि के बाद लागू होगा।

3. प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण – भारतीय मानक ब्यूरो तालिका के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं या सामान के लिए प्रमाणन और प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

4. उल्लंघन के लिए पेनल्टी – इस आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भारतीय मानक बब्यूरो अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत दंडित किया जाएगा।

तालिका

वस्तु या सामान	**भारतीय मानक**	**भारतीय मानक का शीर्षक**
(1)	**(2)**	**(3)**
डोर फिटिंग्स	6343:1982	डोर क्लोजर्स)वायवीय रूप से नियंत्रित(40 किलो तक वजन के लाइट डोर्स केलिए
	14912:2001	डोर क्लोजर्स, कन्सील्ड टाइप (हाइड्रोलिक रूप से नियंत्रित)
	3564:1995	हाइड्रॉलिक रूप से नियंत्रित डोर क्लोज़र
	6315:1992	फ़्लोर स्प्रिंग्स (हाइड्रॉलिक रूप से नियंत्रित) हेवीडोर्स केलिए।
	1019:1974	रिम लैचेस
	208:2020	डोर हैंडल
	4992:1975	मोर्टिस लॉक के लिए डोर हैंडल (वर्टिकल टाइप)

नोट : इस तालिका के प्रयोजन के लिए, भारतीय मानकों के संबंध में जारी संशोधनों सहित उनके नवीनतम संस्करण, जैसा कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, लागू होंगे।

[फा. सं. पी-29026/19/2023–एलईआई]

संजीव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department for Promotion of Industry and Internal Trade)

ORDER

New Delhi, the 23rd October, 2023

S.O. 4646(E).—In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely: -

1. **Short title and commencement. -** (1) This order may be called Door Fittings (Quality Control) Order, 2023.

(2) It shall come into force on the expiry of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. Compulsory use of Standard Mark. - Goods or articles specified in the Column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard mentioned in Column (2) of the Table and shall bear the Standard Mark

under a license from the Bureau of Indian Standard as per Scheme-1 of Schedule-II of the Bureau of Indian Standards (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing contained in this order shall apply to goods or articles manufactured domestically for the purpose of export.

Provided further that for micro enterprises, as defined in clause (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of twelve months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Provided also that for small enterprises, as defined in clause (h) and (m), respectively of section 2 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), it shall come into force on the expiry of nine months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. **Certification and enforcement authority. -** The Bureau of Indian Standard shall be the certifying and enforcing authority for the goods or articles specified in the column (1) of the Table.

4. **Penalty for Contravention. -** Any person who contravenes the provisions of this order shall be punishable in accordance with the provisions of Bureau of Indian Standards Act, 2016.

TABLE

Goods or articles	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	**(2)**	**(3)**
Door Fittings	6343:1982	Door closers (pneumatically regulated) for light doors weighing up to 40 kg
	14912:2001	Door closers, concealed type (hydraulically regulated)
	3564:1995	Hydraulically Regulated Door Closers
	6315:1992	Floor springs (hydraulically regulated) for heavy doors
	1019:1974	Rim Latches
	208:2020	Door Handles
	4992:1975	Door handles for mortice lock (vertical type)

Note: For the purposes of this Table, the latest version of Indian Standards including the amendments thereof, as notified by the Bureau of Indian Standards shall apply.

[F. No. P-29026/19/2023-LEI]

SANJIV, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2023.10.25 22:00:51 +05'30'